1

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल
(प्रशासन निदेशालय–एस.पी.बी.वाई. सेल)

पा।(SE)
25/07/2014

ब्लॉक न0. 10 सी0 जी0 ओ0 कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली – 110003

पत्रांकः–3/65/प्रशा0 1/सी0सु0बल–सी.प्र.क.क./14/ 15548 दिनांक ......12/07 जुलाई, 2014

रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी

विषयः– "सीमा प्रहरी कल्याण कवच" के पंजीकरण हेतु

उपरोक्त संस्था के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज आपके अवलोकन हेतू प्रस्तुत कर रहा हूँ :–

1. संगठन का ज्ञापन पत्र – दो प्रति ।
2. नियम व उपनियम – दो प्रति ।
3. असंबधता का शपथ पत्र ।
4. पंजीकरण कार्यालय के प्रयोग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
5. स्वामित्व का प्रमाण पत्र ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त संगठन का पंजीकरण, समिति पंजीकरण एक्ट 1860 संघ राज्य दिल्ली में लागू के अंतर्गत कर लिया जाये ।

धन्यवाद

भवदीय

स्थान : सी0जी0ओ0 कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली

(के0एस0गुन्जयाल)
उप–महानिरीक्षक (कल्याण)
वास्ते महानिदेशक, सी0सु0बल

दिनांकः ...12../07/2014

संस्था का ज्ञापन पत्र

1	संस्था का नाम	:	''सीमा प्रहरी कल्याण कवच''
2	संस्था का पंजीकृत कार्यालय	:	संस्था का पंजीकृत कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहेगा और वर्तमान में यह निम्न पते पर स्थापित है:– **Room No.07, FHQ, Border Security Force, Block-10, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003**
2	क. कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण दिल्ली

3. **संस्था के उद्देश्य व लक्ष्य** :– जिन उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना की गई है वे निम्न प्रकार है:–

सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की तैनाती सामान्यतया सुदूर, सीमावर्ती, दूरगम, एवं अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रों में रहती है, ऐसे संवेदनशील इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों का जीवन अत्यन्त ही जोखिम भरा हो जाता है और राष्ट्र हित में अपने प्राणों की आहुतियाँ भी देनी पडती है, किन्तु शहिदों के आश्रितों को इस सर्वोच्च बलिदान के उपरान्त भी वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ता है । इन वित्तीय कुप्रभावों से बचने के मद्देनजर, बल के महानिदेशक की सहमति से ''**सीमा प्रहरी कल्याण कवच**'' की स्थापना की गयी है।

1. <u>परिभाषा</u>

(क) **सीमा प्रहरी कल्याण कवच** से तात्पर्य है सीमा सुरक्षा बल में कार्यरत कार्मिकों के द्वारा अपंग/विकलांग, शहीद व दिवगत कार्मिकों के उत्तराधिकारियों व आश्रितों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना ।

(ख) **लाभार्थी** से तात्पर्य सीमा सुरक्षा बल के अपंग/विकलांग कार्मिक या दिवगत कार्मिकों के उत्तराधिकारी/आश्रितों व सेवानिवृत्त कार्मिक से है ।

(ग) **उत्तराधिकारी/आश्रित** से तात्पर्य विधवा, 21 वर्ष से कम आयु का बेरोजगार पुत्र और अविवाहित पुत्री जो उस पर आश्रित थे से है। आश्रितों में छोटा भाई व बहन जिनके पास आजीविका का साधन नहीं हैं तथा वृद्ध माता–पिता जो पेंशनभोगी न हों और कार्मिक पर पूर्णरूप से आश्रित हो, सम्मलित है।

(घ) **बल के सदस्य** से तात्पर्य एक अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी अथवा अन्य पद कार्मिकों से है जो सीमा सुरक्षा बल बीमा योजना निधि मे अंशदान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष